Sl. N	Period from 01.11.2012 To 31.03.2013 Name of scheme		Sanction order no. & date	Project Cost Rs. In lacs	Amount Received Rs. In lacs
1	Cons. Of 132/33 Kv GSS & 33/11 PSS in Karbighaiya	Transmission	716/12.02.13	7736.00	2236.0(
2	Construction of 132/33 KV G.S.S. at Tehta & Imamganj with associated 132 KV lines.	Transmission	726/12.02.13	5120.00	2253.0(
3	Construction of 132/33 KV G.S.S. at Ekma with associated 132 KV lines.	Transmission	728/12.03.13	510.00	100.0(
4	Construction of 132/33KV G.S.S. at Jandaha with associated 132 KV lines.	Transmission	731/12.02.13	2500.00	1000.0(
5	Construction of 220/132/33 KV new Grid of power 2 x 150 & 2 x 50 MVA in Bihta (Patna)	Transmission	1034/22.02.13	13548.00	500.0(
6	Estabilishment of 50 MVA 132/33 KV Power Transformer in Siwan, Nawada & Jamalpur	Transmission	1624/19.03.13	792.00	600.0(
				Total (A)	6689.0(

Sl. No	Period from 01.04.2013 To 31.03.2014 Name of scheme		Sanction order no. & date	Project Cost Rs. In lacs	Amount Received Rs. In lacs
1	Scheme for R & M of two old GSS(Rajgir & Gaighat)	Transmission	2662/21.05.2013	1804.00	487.9!
2	Construction of 220/132/33 KV new Grid of power 2 x 150 & 2 x 50 MVA in Bihta (Patna)	Transmission	2946/05.06.2013	13548.00	2000.0(
3	Construction of additional 33 KV Transformar "Way" in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3707/17.07.2013	792.00	192.0(
4	Construction of additional 132KV Transformar"Way" at 132\33 KV in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3767/22.07.2013	626.00	626.0(
5	Extention of capacity of 17 nos Power Transformer	Transmission	3430/01.07.2013	4904.00	2000.0(
6	Cons. Of 132/33 Kv GSS & 33/11 PSS in Karbighaiya	Transmission	3768/22.07.2013	2731.00	2731.0(
7	Constuction of Control Room Building etc.	Transmission	3773/22.07.2013	7682.50	2500.0(
8	Replacement of Oil & Overhouling of 48 no. Power transformer	Transmission	5058/28.10.13	1208.00	500.0(
9	Construction of additional 33 KV Transformar "Way" in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3893/26.07.2013	370.00	170.0(
10	Construction of additional 132KV Transformar"Way" at 132\33 KV in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3894/26.07.2013	500.00	200.0(
11	Construction of 220/132/33 KV new Grid of power 2 x 150 & 2 x 50 MVA in Bihta (Patna)	Transmission	794/21.02.2014	13548.00	1500.0(
				Total (B)	12906.9!
	Amount of loan to be converted in to Equity received during company period. This amount is being shown in Books of BSPTCL as Loan.			Grand Total (A+B)	19595.9!

Annexure II

	Period from 01.04.2010 To 31.03.2011				
Sl. No	Name of scheme		Sanction order no. & date	Project Cost Rs. In lacs	Amount Received Rs. In lacs
1	Jandaha GSS	Transmission	3427 / 18.08.2010	2500.00	500.0
2	Ekma GSS	Transmission	4605 / 30.11.2010	510.00	100.0
3	5 PSS in Jahanabad	Transmission	4606 / 30.11.2010		100.0
4	Tehta & Emamgang GSS	Transmission	4607 / 30.11.2010	5120.00	100.0
5	Construction of lines of sugar milles	Transmission	4693 / 03.12.2010	1299.00	500.0
6	Construction of lines of sugar milles	Transmission	1439 / 24.03.2011	1299.00	799.0
7	Mithapur GSS	Transmission	1490 / 25.03.2011	7736.00	500.0
8	Bodhgaya Sherghati Trans. Lines	Transmission	1501 / 26.03.2011	2510.00	1110.0
9	Raising of height of transmission lines	Transmission	1556 / 29.03.2011	615.00	200.0
	Amount of loan received up to 31.03.2011 has been converted in to Equity. Which is incuded in Rs.1464.00 Cr.			Total (A)	3909.0
	Period from 01.04.2011 To 31.03.2012				
Sl. No	Name of scheme		Sanction order no. & date	Project Cost Rs. In lacs	Amount Received Rs. In lacs
1	Raising of height of transmission lines	Transmission	3607/10.08.2011	615.00	415.0
2	Reconstruction of Tower & Trans.line	Transmission	3608/10.08.2011	172.00	172.0
3	Construction of 132/33 KV G.S.S. at Tehta & Imamganj with associated 132 KV lines.	Transmission	3609/10.08.2011	5120.00	2767.0
4	Construction of 132/33 KV G.S.S. at Ekma with associated 132 KV lines.	Transmission	3611/10.08.2011	510.00	310.0
5	Construction of 132/33KV G.S.S. at Jandaha with associated 132 KV lines.	Transmission	3612/10.08.2011	2500.00	1000.0
6	Cons. Of 132/33 Kv GSS & 33/11 PSS in Karbighaiya	Transmission	1472/29.03.2012	7736.00	5000.0
				Total (B)	9664.0
	Period from 01.04.2012 To 31.10.2012				
Sl. No	Name of scheme		Sanction order no. & date	Project Cost Rs. In lacs	Amount Received Rs. In lacs
1	Construction of additional 33 KV Transformar "Way" in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3117/23.07.12	370.00	200.0
2	Construction of additional 132KV Transformar"Way" at 132\33 KV in Sitamadhi,Bihta,Khaugal,Ara,Nawada.	Transmission	3118/23.07.12	500.00	300.0
3	Construction of transmission system for disbursement of power generation from MTPS	Transmission	4361/26.09.12	2840.00	2612.0
				Total (C)	3112.0
	Amount of loan received during 2011-12 & 2012-13 (up to 31.10.2012) has to be converted in to Equity under final Tranfer Scheme.			Total (B+C)	12776.0
				TOTAL(A+B+C)	16685.0

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बोर्ड विविध– 5 / 2012 294 पटना, दिनांक – 21/1/14

विभाग द्वारा सेवा में,
वारिक ...
परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रूपये) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, अन्य शैक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत माँग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड सक्षम नहीं है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132 / 33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ हैं अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहटा में 220 / 132 / 33 के0भी0 का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है।

2. राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत मांग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत् बोर्ड द्वारा बिहटा में 220 / 132 / 33 के0भी0 नया ग्रिड (क्षमता–2X150 एम0भी0ए0 220 / 132 के0भी0 लेवल पर एवं 2X50 एम0भी0ए0 132 / 33 के0भी0 लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन के निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रूपये मात्र आकलित की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यादेश संख्या–1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराये गये है। वित्तीय वर्ष 2013–14 में राज्यादेश संख्या–2946 दिनांक 05.06.2013 द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 20 करोड़ (बीस करोड़) रूपये ऋण के रूप में उपलब्ध कराये गये है।

3. पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को 15.00 करोड़ (पन्द्रह करोड़ रूपये) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता / सब्सिडी की राशि से अतिदेय / देय राशि की वसूली कर सकेगी।

[illegible] –190–सार्वजनिक [illegible] तथा [illegible] का कर्ज उपशीर्ष– [illegible] बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना [illegible]–विपत्र कोड [illegible] 6501001900112 विपत्र शीर्ष 6501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्राविधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू खाता संख्या–0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वारा की जायगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

9. उपरोक्त निमित स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं होंगी बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0 ओ0 आर0 संख्या 150 दिनांक 22.01.2014 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–15/2012 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बोर्ड विविध–15/2012 794 दिनांक 21/2/14

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21.2.14

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

पत्रांक– प्र02 / BSPTCL–01 / 2014

पटना, दिनांक

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंडल, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भी0 क्षमता वाले (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वित्तीय वर्ष 2013–14 में 10.00 करोड़ (दस करोड़ रूपये) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

बिहार राज्य के 20 जिलें में 32 राजस्व अनुमंडल ऐसे है, जहां वर्त्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है। अतः निर्णय लिया गया इन 32 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड की स्थापना की जाय। केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकार द्वारा कराये गये विद्युत् सर्वे के मुताबिक बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंत में बिहार का शीर्ष मांग 5620 मेगावाट है। इन 32 राजस्व अनुमंडलों में प्रस्तावित ग्रिड सब–स्टेशन के निर्माण को बिहार की सम्भावित मांग 5620+500 मेगावाट = 61.. मेगावाट को ध्यान में रखते हुए एक लोड फ्लो स्टडी करवायी गयी है। इसके परिणामस्वरूप .. बात सामने आयी है कि 14 राजस्व अनुमंडल ऐसे है जिसमें 10 या 10 से कम मेगावाट लोड .. अतः इन ग्रिड सब–स्टेशनों को ए0आई0एस0 मोड में बनाने का निर्णय लिया गया है। निर्माणार्थ.. ग्रिड की क्षमता का निर्धारण उस ग्रिड के लोड के आधार पर किया गया है।

2. प्रथम चरण में इन 14 राजस्व अनुमंडलों में ग्रिड निर्माण की योजना है। विवरण निम्न प्रकार है :–

जिला	राजस्व अनुमंडल	क्षमता (एम0भी0ए0)	भोल्टेज लेवल (के0भी0)
मधुबनी	झंझारपुर	2x10	132 / 33
बेगुसराय	बलिया	2x10	132 / 33
	मंझौल	2x10	132 / 33
	बखरी	2x20	132 / 33
सुपौल	त्रीवेणीगंज	2x10	132 / 33
	निर्मली	2x20	132 / 33
दरभंगा	बेनीपुर	2x10	132 / 33
सीतामढ़ी	बेलसंड	2x10	132 / 33
पू0 चम्पारण	पकड़ी दयाल	2x20	132 / 33
	चकिया	2x20	132 / 33
समस्तीपुर	शाहपुर पटौरी	2x20	132 / 33
पूर्णिया	बनमंखी	2x20	132 / 33
भोजपुर	पीरो	2x20	132 / 33
कटीहार	मनीहारी	2x20	132 / 33

इस योजना की कुल लागत 555.90 करोड़ रूपये आक्कलित की गयी है।

MD (Trans)

CE (Trans) / GM (F&A)

561/MD(T) 28.2.14

1307/eMD 28/02/14

438/DGM(F) 01/3/14

AE (MT) 1/3/14

Sr Mgr (BSPTCL) 05/03/14

Addl (AF-O)

... राज्य सरकार द्वारा बिहार राज्य के 10 जिला अन्तर्गत 14 राजस्व अनुमंड वर्तमान में कोई ग्रिड सब–स्टेशन कार्यरत नहीं है, में 132/33 के0भो0 क्षमत (ए0आई0एस0) ग्रिड सब–स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाइन के निर्माण हेतु 555.90 करो की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना मद से वि 2013–14 में 10.00 करोड़ (दस करोड रूपये) रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्प को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उ शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण लघु शीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों मे मांग सं0–10 उपशीर्ष–0105 बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 की परियोजना कोड– P4801051900105 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013- उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भ स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन लि0, पटना को केनरा बैंक, साउथ गाँधी मैदान शाखा, पटना के चालू संख्या–0352101042062 आइ0एफ0एस0सी0 कोड CNRB0000352 में R.T.G.S के द्वा जायगी।

6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्रा पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उपरोक्त निमित स्वीकृत राशि पी0एल0 खाता के माध्यम से संचालित नहीं बल्कि सीधे बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कंपनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 386 दिनांक 20.02.2014 सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(कामेश्वर शुक्ला)

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL–01/2014 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/BSPTCL–01/2014 850 दिनांक 24/2/14

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/ब शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ले शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–~~प्रह~~–प्रब निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम लिमिटेड/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24.2.14

संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग

(5) D.G.M.(F&A)

ऊर्जा विभाग

पत्रांक 402 ...

तग सेवा म. 2013 पटना, दिनांक

गरिक
से
र्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय:– बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओभर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 5 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश:– स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड सब–स्टेशन में विभिन्न क्षमता के पावर ट्रान्सफॉरमर के संरक्षण एवं रख–रखाव हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार कुछ पावर ट्रान्सफॉरमर में ट्रान्सफॉरमर ऑयल की स्थिति बहुत खराब है जिसके चलते तेल का ब्रेक डाउन भोलटेज बहुत कम हो गया है तथा ट्रान्सफॉरमर के प्रतिरोधक क्षमता का ह्रास हुआ है। फलस्वरूप, पावर ट्रान्सफॉरमर अपनी पूर्ण क्षमता के साथ भार–वहन करने में सक्षम नहीं है। साथ ही कुछ ट्रान्सफॉरमर में इनके कमिशन के पश्चात् अभी तक भी नहीं बदला जा सका है।

उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए तत्काल 48 नं0 पावर ट्रान्सफॉरमर के जीवन एवं क्षमता वृद्धि करने हेतु ट्रान्सफॉरमर के आभर होलिंग के दरम्यान 1000 कि0मी0 ट्रान्सफॉरमर तेल की आवश्यकता है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कंपनी लिमिटेड, पटना के अंतर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफॉरर्मर का तेल बदलना एवं ओवर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रू0 की योजना है जिनकी कुल अनुमानित राशि निम्न प्रकार से आकलित की गई है :–

वित्तीय वर्ष 2013–14 में 5 करोड़ रूपये एंव वित्तीय वर्ष 2014–15 में 7.08 करोड़ रूपये।

3. दिनांक 03.07.2013 को ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओभर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 5 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रान्समीशन कम्पनी लिमिटेड, पटना की संचरण प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफार्मर का तेल बदलना एवं इनका ओभर होलिंग कराने हेतु 12.08 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 5 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

कृ0पृ0उ0

[illegible] सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-- उप मुख्य शीर्ष--00–ल शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बिहार स्टेट पाव (होल्डिग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहा पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैं सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारती स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहि प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० निर्धारित ऋण की शर्तों के साथ उक्त राशि 5 (पॉच) करोड़ रू0 विभिन्न क्षमता के 48 नं0 पावर ट्रान्सफर्मर का तेल बदलना एवं इनका ओभ होलिंग कराने की योजना के कार्यान्वयन हेतु 5 (पॉच) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पन लि0 को उपलब्ध करायेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1284 दिनांक 30.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)क0–38 / 2013 दिनांक

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)क0–38 / 2013 5058 दिनांक 28/10/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)

विशेष सचिव, ऊर्जा विभाग

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक

बिहार स्टेट पावर (हो०) कम्पनी

विद्युत भवन पटना

8

MD (Trans)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र2/बोर्ड–विविध–17/2012 पटना, दिनांक –

सेवा में,

वित्त वि द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में एक–एक अतिरिक्त 33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं अन्य 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद फुलपरास में 1 अदद एवं बिहटा में 1 अदद कुल पॉच 33 के0भी0 लाईन "बे" के निर्माण की कुल 3.70 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 1.70 करोड़ (एक करोड़ सत्तर लाख) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश: स्वीकृत।

राज्य के सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50 एम0भी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 33 के0भी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" का निर्माण आवश्यक है। अन्य 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशनों यथा सोननगर में 2 अदद, जयनगर में 1 अदद, फुलपरास में 1 अदद् एवं बिहटा में 1 अदद् कुल पॉच 33 के0भी0 लाईन "बे" बनाने की योजना है। इस प्रकार 33 के0भी0 ट्रांसफॉर्मर "बे" पॉच अदद् एवं 33 के0भी0 लाईन "बे" पॉच अदद् का निर्माण किया जाना है। बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 3.70 करोड़ रूपये आकलित की गई है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के उपर्युक्त उल्लेखित 132/33 के0भी0 5 ग्रिड सब–स्टेशन में एक–एक अतिरिक्त 33 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर "बे" का निर्माण एवं पाँच 33 के0भी0 लाईन "बे" के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यादेश संख्या 3117 दिनांक 23.07.2012 द्वारा 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.70 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप मु शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–0104– बि स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को परियोजनाओ हेतु ऋण, माँग सं0–10–विपत्र कोड 6801007890104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एव अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबं राशि 57,97,54,000.00 (सन्तावन करोड़ सनतानवे लाख चौवन हजार) से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभा बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारत स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्प लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनि ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 1.70 करो रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिक पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1247 दिनांक 19.07.2013 द्वा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–17/2012 दिनांक________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2/बोर्ड–विविध–17/2012 3893 दिनांक 26/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्ज विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्ज विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक –प्र2/बोर्ड–विविध–18/2012

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

पटना, दिनांक –

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/3 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन में अतिरिक्त 132 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर ''बे'' के निर्माण के कुल 5.00 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय व 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 2.00 करोड़ (दो करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्य में विद्युत मांग में निरंतर बढ़ोतरी के चलते बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के कार्यरत सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में कार्यरत 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र में स्थापित ट्रांसफॉर्मर की क्षमता में विस्तार आवश्यक है। इन सभी उपकेन्द्रों में 50 एम0भी0ए0 क्षमता का अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मर स्थापित किये जाने की योजना है। ट्रांसफॉर्मर की व्यवस्था पावर ग्रिड के माध्यम से राष्ट्रीय सम विकास योजना में की जा रही है। इनके प्रतिष्ठापन हेतु 132 के0भी0 के पॉच अदद ट्रांसफॉर्मर ''बे'' का निर्माण आवश्यक है। बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल अनुमानित लागत 5.00 करोड़ रूपये आकलित की गई है।

उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा सीतामढ़ी, बिहटा, खगौल, आरा एवं नवादा में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के 132/33 के0भी0 ग्रिड सब–स्टेशन में अतिरिक्त 132 के0भी0 ट्रान्सफॉर्मर ''बे'' के निर्माण की योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यादेश संख्या–3118 दिनांक 23.07.2012 द्वारा तत्कालीन बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को 3.00 करोड़ (तीन करोड़) रूपये स्वीकृत की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 2.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृ0पृ0उ0

4. यह राशि बजट मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज–उप शीर्ष–00–लघु शीर्ष–789–अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना उपशीर्ष–010– स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को परियोजनाओं हेतु ऋण, माँग सं0–10–विपत्र कोड 6801007890104 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपब राशि 57,97,54,000.00 (सन्तावन करोड़ सनतानवे लाख चौवन हजार) से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा वि बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भार स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉ ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 2.00 क रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिव पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

9. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1246 दिनांक 19.07.2013 द्व सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र2 / बोर्ड–विविध–18 / 2012 दिनांक__________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड–विविध–18 / 2012 3894 दिनांक 26/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्ज विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्ज विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबं निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0 / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पाव (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

26/7/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)क0 लि0–41 / 2013

विभाग द्वारा औपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक

विषयः बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगहिया ताप विद्युत परिसर की सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि हेतु परिसर में पार्क के निर्माण की 27.31 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 27.31 करोड़ रूपये को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगहिया ताप विद्युत परिसर के बगल में चाणक्य विधि महाविधालय, चन्द्रगुप्त प्रबंधन संस्थान जैसे बिहार के प्रतिष्ठित संस्थान बहुत ही सुन्दर परिसर मे अवस्थित है। पुराने पड़े ताप विद्युत गृह के चलते इस क्षेत्र की सौन्दर्यता एवं वातावरण दोनों प्रभावित है। उपर्युक्त परिस्थितियों को देखते हुए यह मत गठित हुआ कि परिसर में एक ऐसे उद्यान की स्थापना की जाय जो ताप विद्युत संयत्र को यथावत पुरानी धरोहर के रूप में संरक्षित करे तथा पार्क के निर्माण होने से पर्यावरण को फायदा हो सके।

2. उक्त परिसर के खाली पड़े क्षेत्र में पार्क के निर्माण से सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि होगी एवं ताप विद्युत संयत्र को पुरानी धरोहर के रूप में संरक्षित किया जायेगा। पुराने कुलिंग टावर, चिमनी तथा पुराने कारखाने से संबंधित शेड को दर्शनीय रूप दिया जायेगा।

3. इस योजना के अन्तर्गत परिसर संतलीकरण, पहुँच पथ का निर्माण, विशेष प्रकाश की व्यवस्था बागवानी पार्क में बैठने की व्यवस्था चार दिवारी का निर्माण, एक छोटा जल विद्युत उत्पादन मॉडल आदि कार्य किये जायेंगे। इस योजना का प्राक्कलन वास्तुविद मेसर्स कपूर एण्ड एसोसियएट्स द्वारा प्राक्कलन तैयार किया गया है। कुल प्राक्कलित राशि–27.31 करोड़ रूपये आकलित है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के करबिगहिया ताप विद्युत परिसर की सौन्दर्यता एवं पर्यावरण में वृद्धि हेतु परिसर में पार्क के निर्माण की 27.31 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 27.31 करोड़ रूपये को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

कृ0पृ0उ0

1173 P.212 1.8.13
10 S. B.S.H.E.P.S. 2017 22.5 7318
101 K.S. 13808

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00 ल शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 680100190010 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनी होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. योजना के कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत राशि होल्डिंग कम्पनी द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

9. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

11. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 1222 दिनांक 16.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक – प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–41/2013 पटना, दिनांक –

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक – प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–41/2013 3768 पटना, दिनांक – 22/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/2013

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–40 / 2013 पटना, दिनांक –

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाली सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियं कक्ष भवन, आवासीय परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंत सड़क / पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णोद्धार की 76.825 क रूपये की योजना की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को 25.00 करोड़ रूपये ऋण के रूप स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

12वीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत संचरण क्षमता के विस्तार की महत्ती योज कार्यान्वित की जा रही है। योजनाओं के कार्यान्वयन में कई उपकरण यथा ट्रांसफार्मर, कंट्रोल रीले पैनल, ब्रेकर इत्यादित उपकेन्द्रों में प्रस्थापित किए जाने है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु बि स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवा परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क / पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णो की योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत 20 उपकेन्द्रों का आधुनिकरण एवं जीर्णो (असैनिक कार्यों को छोड़कर) करने की भी योजना प्रस्तावित है। इन मूल्यवान उपकरणों प्रस्थापित करने, सुरक्षित संचालन एवं सुरक्षा हेतु उपकेन्द्र अवस्थित कुछ महत्वपूर्ण असैनिक यथा आंतरिक सड़क, नियंत्रण कक्ष भवन, चहारदीवारी इत्यादि का समुचित सुदृढ़ होना अनि है। बहुत सारे वर्त्तमान ग्रिड उपकेन्द्र करीब 35 / 40 वर्ष पूर्व निर्मित है जिनकी असैनिक मरम सुदृढ़ीकरण एवं जीर्णोद्धार अत्यावश्यक है।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निय कक्ष मरम्मती, आवासीय भवन मरम्मती, विश्राम गृह मरम्मती, पहुँचपथ मरम्मती, पेयजल निस्सारण व्यवस्था, चहारदीवारी मरम्मती कार्य, कार्यालय मरम्मती, स्वीचयार्ड का विकास जाना है । इस योजना की कुल लागत 76.825 करोड रू0 आकलित की गई है। योजनान्तर्गत सभी कार्य दो चरणों में कराया जाना है। प्रथम चरण में ग्रिड उपकेन्द्र स्थित निय कक्ष भवन, पहुँचपथ, विश्राम गृह, चहारदीवारी इत्यादि के मरम्मति के कार्य किये जायेंगे। द्वि चरण में उपरोक्त वर्णित कार्यों को छोड़कर ग्रिड उपकेन्द्रों के परिसर में अवस्थित आवासीय एवं इससे संबंधित कार्य कराए जायेंगे।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 की संचरण प्रणाल सुदृढ़ीकरण की राज्य योजना अन्तर्गत पुराने ग्रिड उपकेन्द्रों के नियंत्रण कक्ष भवन, आवा परिसर एवं भवन, चहारदीवारी, आंतरिक सड़क / पहुँचपथ, पेयजल सैनीटेशन आदि के जीर्णो की 76.825 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को 25.00 करोड़ रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

कृ0प

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजन के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वी निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदा ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली सकेगी।

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मु शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बि स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–वि कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभ बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारत स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्प लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता सं 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनि ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा राशि बिहार स्टेट पावर ट्रासमिश कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायी जायेगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की रही है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिक पत्र की आवश्यकता नहीं हैं।

10. स्वीकृत्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 1220. दिनांक 16.07.2013 द्वा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–40/2013 दिनांक____________

प्रतिलिपिः– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0-40/2013 3773 दिनांक 22/7

प्रतिलिपि :- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट (होल्डिंग) कम्पनी लि0/वरीय प्रबंधक वित्त एवं लेखा, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

E 121/CMV
20/7/13

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–08 / 2013 पटना, दिनांक – ________

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनीयों के सिवा[illegible] नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब–स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम0भी0ए0 132/3[illegible] के0भी0 पावर ट्रान्सफारमर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए 7.92 करोड़ रूपये [illegible] स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.92 करोड़ रूप[illegible] बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति के संबं[illegible] में।

आदेशः स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 की समीक्षात्मक बैठक एवं मासिक विडिर[illegible] कन्फ्रेन्सीग में संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जिलों में निरन्तर विद्युत् मांग की बढ़ोत्तरी के कारण इ[illegible] जिलों में स्थापित ग्रिड सब–स्टेशनों की क्षमता विस्तार करने का सुझाव दिया गया हैं। नवादा एवं सिवान[illegible] जिला में वर्त्तमान में 2x20 एम0भी0ए0 क्षमता वाली एक ही ग्रिड स्थापित है तथा मुगेंर जिला में 1x20 +[illegible] 1x50 एम0भी0ए0 क्षमता वाली एक ही ग्रिड सब–स्टेशन जमालपुर में स्थापित है एवं रेलवे एवं अन्[illegible] अद्यौगिक ईकाईयों के लिए विद्युत् मांग अधिक है। अतः इन तीनों ग्रिड सब–स्टेशनों का क्षमता विस्ता[illegible] आवश्यक है। क्षमता विस्तार के बाद नवादा एवं सिवान ग्रिड की वर्त्तमान क्षमता 40 एम0भी0ए0 से बढ़कर 70 एम0भी0ए0 हो जाएगी एवं जमालपुर ग्रिड सब–स्टेशन की वर्त्तमान क्षमता 70 एम0भी0ए0 से बढ़कर 100 एम0भी0ए0 हो जाएगी। इन तीनों ग्रिड सब–स्टेशन में कार्यरत 20 एम0भी0ए0 ट्रान्सफार्मर को हटाकर अन्यत्र दूसरे ग्रिड सब–स्टेशन में ऊर्जान्वित कर उन ग्रिड सब–स्टेशनों का क्षमता विस्तार किया जाएगा।

1207/MD(H) 22/7/13

2. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनीयों के सिवान, नवादा एवं जमालपुर ग्रिड सब–स्टेशनों में 3 अद्द 50 एम0भी0ए0 132/33 के0भी0 पावर ट्रान्सफारमर लगाकर क्षमता विस्तार के लिए बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 को राज्य योजना से वित्तीय वर्ष 2012–13 में राज्यादेश संख्या 1624 दिनांक 19.03.2013 द्वारा 6.00 (छः) करोड़ रूपये ऋण की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 1.92 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तो की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

Managing Director Bihar State Power Transmission Co. Ltd. Patna 20 JUL 2013

कृ0पृ0उ0

4. यह राशि बजट शीर्ष मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– f पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र को 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत 304,37,09,000 (तीन सौ चार सैंतीस लाख नौ हजार) रूपये वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए मूल बजट में स्वीकृत राशि से विक होगा।

5. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भा स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

6. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 1.92 करोड़ बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा देगी।

7. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार की आवश्यकता नहीं है।

9. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1163 दिनांक 04.07.2013 द्वारा सह प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–08/2013 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–08/2013 3707 दिनांक 17/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बज शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेख शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पाव ट्रासमिशन कम्पनी लि0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेख निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/13

(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(3) D.G.M (B&A)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)क0–39 / 2013 पटना, दिनांक –

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के टेस्टिंग हेतु रू0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्श 2013–14 में रू0 6.26 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

आदेश: स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत विभिन्न ग्रिड उपकेन्द्रों के उचित रख–रखाव, प्रीवेंटिव मेंटिनेंस, उपस्करों की जाँच, ब्रेकडाउन होने पर फॉल्ट के जगह का निर्धारण आदि हेतु विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट की आवश्यकता है। इनके उपलब्ध होने पर ग्रिड उपकेन्द्रों के अर्थिंग, उपस्करों की जाँच, सुरक्षा उपकरणों यथा रिले आदि की टेस्टिंग एवं एडजस्टमेंट, जम्पर तथा उपस्करों के गर्म स्थानों को चिन्हित करना, ब्रेकडाउन होने पर फॉल्ट के जगह का त्वरित निर्धारण कर के बाधित विद्युत् आपूर्ति को शीघ्र चालू करने में आसानी होगी।

2. बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के टेस्टिंग हेतु आवश्यक टेस्टिंग उपकरण के खरीद की योजना की कुल लागत 6.25 करोड़ रूपये आकलित की गई है।

3. दिनांक 02.07.2013 को ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के टेस्टिंग हेतु रू0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 6.26 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा द्वारा बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 के ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के टेस्टिंग हेतु रू0 6.26 करोड़ मूल्य के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना की स्वीकृति एवं इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में रू0 6.26 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षो में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता / सब्सिडी की राशि से अतिदेय / देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृ0पृ0उ0

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज उप मुख्य शीर्ष 00-लघु शीर्ष–190 सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष 0109- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0-10- विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० निर्धारित ऋण की शर्त्तो के साथ उक्त राशि 6.25 करोड़ रू0 ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना के कार्यान्वयन हेतु 6.25 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करायेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 1202 दिनांक 11.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0–39 / 2013 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0–39 / 2013 3767 दिनांक 22/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/7/13

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

[illegible]

6 यह राशि मुख्य शीर्ष 6801 [illegible] के लिए कर्जे उप मुख्य शीर्ष [illegible] शीर्ष–190– सार्वजनिक क्षेत्र के [illegible] लघु शीर्ष 0109– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० की [illegible] राज्य योजना भाग 80–10–विपत्र कोड नं० 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7 इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ०एफ०सी० कोड SBIN –0000153 में आर०टी०जी०एस०/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8 वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9 बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० निर्धारित ऋण की शर्तों के साथ उक्त राशि 6.25 करोड़ रू० ग्रिड उपकेन्द्रों के उपस्करों आदि के विशेष प्रकार के टेस्टिंग इक्यूपमेंट्स को खरीदने की योजना के कार्यान्वयन हेतु 6.25 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि० को उपलब्ध करायेगी।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू०ओ०आर० संख्या 1202 दिनांक 11.07.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0–39/2013 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0–39/2013 3767 दिनांक 24/7/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, पटना/ अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/ मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/7/13

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

(-1)

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–26/2013

वित्त विभाग द्वारा अनौपचारिक रूप से परामर्शित

सेवा में,

पटना, दिनांक

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचर प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉमरों का क्रय क क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना क कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 20 (बीस) करोड़ रूपये ऋण के रूप बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदा करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

राज्य के वितरण व्यवस्था में सुधार लाने हेतु वितरण अवरोधों को चिन्हित किया गया है उच्चतम स्तर पर इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है। सहमति बनी है कि संचरण प्रणाली की क्षमता वितरण प्रणाली के क्षमता के समतुल्य होनी चाहिए। अतः चिन्हित ग्रिड उपकेन्द्रों यथा बोधगया, बिहारशरीफ, बेगुसराय, फतुहॉ, सीतामढ़ी, सबौर, गोपालगंज, बेतिया, सहरसा, समस्तीपुर, छपरा, जक्कनपुर (पटना), आरा में क्षमता विस्तार कर संचरण अवरोधों को दूर करना है।

2. राज्य के संचरण व्यवस्था के सुदृढ़िकरण हेतु बिहारशरीफ एवं बोधगया 220 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्रों में एक–एक नया 150 एम0भी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त बेगूसराय एवं फतुहा 220 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्रों में एक–एक नया अतिरिक्त 100 एम0भी0ए0 एवं सबौर और सीतामढ़ी 132/33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र में 13 अतिरिक्त 50 एम0भी0ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाकर क्षमता विस्तार किया जाना है। इस योजना की कुल लागत 49.04 करोड़ रूपये है एवं कार्यान्वयन की समय सीमा 2 वर्ष है।

3. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉमरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 20 (बीस) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी के विद्युत संचरण प्रणाली के पुराने 14 ग्रिड उपकेन्द्रों हेतु कुल 17 पावर ट्रान्सफॉमरों का क्रय कर क्षमता विस्तार की 49.04 करोड़ रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013–14 में 20 (बीस) करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लिमिटेड को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।
(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।
(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।
(ङ) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

कृ0पृ0उ0

6 यह राशि मुख्य शीर्ष 6801--बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज-- उप मुख्य शीर्ष--00--लघु शीर्ष 190--सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष--0109-- बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0--10--विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013--14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7 इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक),ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN --0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० राशि प्राप्त होने के उपरान्त 20.00 करोड़ रूपये बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध करा देगी।

9. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

10. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

11 राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या--1054 दिनांक 18.06.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/--
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव,ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0--26/2013 दिनांक ....

प्रतिलिपि :-- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/--
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव,ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0--26/2013 3430 दिनांक 1/7/13

प्रतिलिपि :-- वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा,ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक),ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर,ऊर्जा विभाग, पटना/ अध्यक्ष--सह--प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/प्रबंध निदेशक, बिहार स्टेट पावर ट्रासमिशन कम्पनी लि0/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1/7/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव,ऊर्जा विभाग

प्रबंध निदेशक
बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं लि
विद्युत भवन, पटना

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक -- प्र02 / बोर्ड विविध 15 / 2012 पटना, दिनांक

प्रतिलिपि मार्ग द्वारा / अग्रिम रूप से प्रेषित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः-- पटना जिला के बिहटा में 2x150 एवं 2x50 एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013--14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 20 करोड़ (बीस करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

पटना के पश्चिमी क्षेत्र में नये प्रतिष्ठानों की स्थापना (आई0आई0टी0, एन0आई0टी0, अन्य शैक्षणिक संस्थान, बड़ा अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान) के चलते विद्युत माँग में अत्यधिक वृद्धि होगी, जिसे वहन करने में कार्यरत ग्रिड सक्षम नहीं है। वर्ष 2007 में चालू किया गया बिहटा 132 / 33 के0भी0 ग्रिड उपकेन्द्र अधिक लोड वहन करने में असमर्थ हैं अन्य ग्रिड यथा खगौल इत्यादि भी full load पर चल रहा है। अतः बिहटा में 220 / 132 / 33 के0भी0 का नया ग्रिड निर्माण (संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन सहित) का कार्यान्वयन आवश्यक है।

2. राज्य की राजधानी के निकटवर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होने वाले प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक विद्युत मांग को पूरा करने हेतु बिहार राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा बिहटा में 220 / 132 / 33 के0भी0 नया ग्रिड (क्षमता--2X150 एम0भी0ए0 220 / 132 के0भी0 लेवल पर एवं 2X50 एम0भी0ए0 132 / 33 के0भी0 लेवल पर) तथा इससे संबंधित संचरण एवं डाउनलिकिंग लाइन के निर्माण की योजना बनाई गई है। योजना की कुल लागत 99.65 करोड़ रूपये मात्र आकलित की गई है। वित्तीय वर्ष 2012--13 में राज्यादेश संख्या--1034 दिनांक 22.02.2013 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गई एवं 5 करोड़ रूपये ऋण के रूप में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को उपलब्ध कराये गये है।

3. पटना जिला के बिहटा में 2X150 एवं 2X50 एम0भी0ए0 क्षमता का 220 / 132 / 33 के0भी0 नये ग्रिड का निर्माण एवं संबंधित संचरण तथा डाउनलिकिंग लाइन का निर्माण हेतु 99.65 करोड़ रूपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2013--14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को 20 करोड़ (बीस करोड़) रूपये ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :--

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।

(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ङ.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता / सब्सिडी की राशि से अतिदेय / देय राशि की वसूली कर सकेगी।

South Bihar Power Distribution Co. Ltd. PATNA 06 JUN 2013

5. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801 बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष- 00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

6. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0 / इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

7. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० द्वारा यह राशि योजना कार्यान्वयन हेतु अविलम्ब बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी को हस्तानान्तरित कर दी जायेगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0आर0 संख्या 954 दिनांक 23.05.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड विविध–15 / 2012 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02 / बोर्ड विविध–15 / 2012 2946 दिनांक 5/6/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा / ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / प्रबंध निदेशक, नार्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कम्पनी लि0, पटना / मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 / उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

5/6/13

(शम्भु नाथ मिश्र)

अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक – प्र02 / बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–19 / 2013 पटना, दिनांक –

त विभाग द्वारा गैपचारिक रूप से ग्मर्शित।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनियों के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब–सटेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति के संबंध में।

आदेशः स्वीकृत।

बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० के अनुसंगी कम्पनी बिहार स्टेट पावर ट्रान्समिशन कम्पनी लि0 के अन्तर्गत वर्त्तमान में कुल 83 ग्रिड सब स्टेशनों में से 44 ग्रिड सब स्टेशन बहुत ही पुराने है। इन ग्रिड सब स्टेशनों में से तत्काल 15 ग्रिड सब स्टेशनों के जीर्णोद्धार की योजना बनाई गई। 15 ग्रिड सब स्टेशनों में से 7 ग्रिड सब स्टेशन यथा सीतामढ़ी, सीवान, हाजीपुर, छपड़ा, रामनगर, मोतीहारी एवं पंडौल मुजफ्फरपुर संचरण जोन के अन्तर्गत है, तथा 8 ग्रिड सब स्टेशन यथा खगौल, गायघाट, हाथीदाह, राजगीर, सोननगर, कर्मनशा, चंदौती एवं जहानाबाद पटना संचरण जोन के अन्तर्गत है।

2. बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब–सटेशनों के जीर्णोद्धार की योजना के कार्यान्वयन हेतु बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 द्वारा कुल अनुमानित लागत 887.95 लाख रूपये आकलित की गई है।

3. दिनांक 10.04.2013 को ऊर्जा विभाग से संबंधित प्रस्ताव पर आयोजित विभागीय स्थायी वित्त समिति द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब–सटेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की गई है।

4. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 के अनुसंगी कम्पनी के पन्द्रह पुराने ग्रीड सब–सटेशनों के जीर्णोद्धार की 887.95 लाख रूपये की योजना की स्वीकृति एवं योजना के कार्यान्वयन हेतु 487.95 (चार करोड़ सतासी लाख पनचानवे हजार) लाख रूपये वित्तीय वर्ष 2013–14 में बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को ऋण के रूप में स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5. राज्य सरकार द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि० को विभिन्न योजनाओं के लिए राज्य योजना के तहत स्वीकृत किये जानेवाले ऋण के पुर्नभुगतान की शर्त्तों की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की गई है :–

(क) ऋण एवं सूद की वसूली बीस वर्षों में होगी, इसकी पहली किश्त की अदायगी ऋण निकासी की तिथि से एक साल बाद से प्रारंभ होगी।
(ख) एक वर्ष में देय राशि चार त्रैमासिक किश्तों में देय होगी।

कृ0पृ0उ0

(ग) इस राशि पर 10.5 प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज देय होगा।

(घ) समय पर भुगतान नहीं करने पर 2.5 प्रतिशत वार्षिक की दर से विलंब दंड शुल्क देय होगा, अर्थात् विलंब के लिए सूद की दर 13 प्रतिशत होगी।

(ड.) समय पर किश्त का भुगतान नहीं किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार वित्तीय सहायता/सब्सिडी की राशि से अतिदेय/देय राशि की वसूली कर सकेगी।

6. यह राशि मुख्य शीर्ष 6801–बिजली परियोजनाओं के लिए कर्ज– उप मुख्य शीर्ष–00–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकमों को कर्ज उपशीर्ष–0109– बिहार स्टेट पावर (होल्डिग) कंपनी लि0 की परियोजनाओं हेतु ऋण राज्य योजना मांग सं0–10–विपत्र कोड पी0 6801001900109 विषय शीर्ष 5501 ऋण एवं अग्रिम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2013–14 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

7. इस राशि की निकासी मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर इसका भुगतान भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा सिंचाई भवन, पटना के द्वारा बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0 को भारतीय स्टेट बैंक, सचिवालय शाखा, सिंचाई भवन, पटना के चालू खाता संख्या 10839114909 एवं आइ0एफ0सी0 कोड SBIN –0000153 में आर0टी0जी0एस0/इलेक्ट्रॉनिक ट्रान्सफर के द्वारा की जायगी।

8. वित्त विभागीय निर्देश 430 दिनांक 05.06.2006 एवं 719 दिनांक 01.09.2011 में निहित प्रावधानों के आलोक में ऋण पंजी विभागीय स्तर पर संधारण की कारवाई प्रारम्भ की जा रही है।

9. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

10. राज्यादेश में वित्त विभाग के यू0ओ0आर0 संख्या 825 दिनांक 15.04.2013 द्वारा सहमति प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–19/2013 दिनांक ....

प्रतिलिपि :– कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग

ज्ञापांक प्र02/बि0स्टे0पा0(हो0)कं0 लि0–19/2013 2662 दिनांक 21/5/13

प्रतिलिपि :– वित्त विभाग, बजट शाखा/ ऋण एवं राजस्व शाखा, वित्त विभाग, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव (प्रावैधिक), ऊर्जा विभाग, पटना/ लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/ आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/मुख्य अभियंता (योजना), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/उप लेखा निदेशक (मुख्यालय), बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0/अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि0, पटना को सूचनार्थ। वित्त विभाग द्वारा दिये गये परामर्शानुसार प्रसंगत ऋण दायित्व सम्बंधित ट्रान्समिशन कम्पनी को हस्तांतरित करने के आलोक आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

21/5/13
(शम्भु नाथ मिश्र)
अपर सचिव, ऊर्जा विभाग